

मुख्यमंत्री साय ने कैबिनेट में लिया बड़ा फैसला

साय कैबिनेट की बैठक में अनुप्रकृत बजट को मिली मंजूरी, यहां देखें महत्वपूर्ण निर्णय



» राजधानी गयपुर के महानदी
भवन मंत्रालय में सीएम विष्णुदेव
साय की अध्यक्षता में
कैबिनेट की हुई बैठक

गयपुर, 24 जनवरी 2024 (ए.)

+ राजधानी गयपुर के नवा राजधानी में स्थित भवन मंत्रालय में सीएम विष्णुदेव

साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में सीएम विष्णुदेव के उम्मीदवारी विजय शमा और अर्जुन साव सहत कैबिनेट के सभी सदस्य मौजूद रहे। कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बता दें कि, कैबिनेट की बैठक में मोदी की गांधी और आगामी बजट को लेकर चर्चा हुई है।

कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगी मुहर..

साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में सीएम विष्णुदेव के उम्मीदवारी विजय शमा और अर्जुन साव सहत कैबिनेट के सभी सदस्य मौजूद रहे। कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बता दें कि, कैबिनेट की बैठक में मोदी की गांधी और आगामी बजट को लेकर चर्चा हुई है।

राजधानी गयपुर के महानदी भवन मंत्रालय में सीएम विष्णुदेव

बैठक में लिए गए ये महत्वपूर्ण निर्णय

- छत्तीसगढ़ के घष्टुम विधानसभा के द्वितीय सत्र फरवरी मार्च 2024 के लिए राज्यपाल के अधिकारण के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- तृतीय अनुप्रकृत अनुमान वर्ष 2023-2024 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- बजट अनुमान वर्ष 2024-25 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि कोई भी नई मंदिर दुकान नहीं खोली जाएगी।
- छत्तीसगढ़ अवकारी नीति विसीन वर्ष 2024-25 का अनुमोदन किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि कोई भी नई मंदिर दुकान नहीं खोली जाएगी।
- माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में जारी रखिस्ट्रार (एम) के 5 पद आकस्मिकता निधि से सुधूर करने का निर्णय लिया गया है।
- इस संसेधन में 'जिला न्यायाधीश' और 'अपर अधिकारी' को 'जिला न्यायाधीश' करने का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह 'व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ष' को 'व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी' तथा 'व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ष' को 'व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी' तथा 'जिला न्यायालय' को 'प्रधान जिला न्यायाधीश' और 'जिला न्यायाधीश' करने का प्रावधान रखा गया है।

अवैध शराब और नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्हें कहा कि, प्रदेश में धर्मांतरण का मुद्दा बेहद गंभीर है।

राजधानी गयपुर के महानदी भवन मंत्रालय में सीएम विष्णुदेव

प्रदेश के 13 आईएएस अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

सामान्य प्रशासन विभाग ने

जारी किया आदेश

गयपुर, 24 जनवरी 2024 (ए.)

प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद से ही तबादले और अधिकारियों की नई जिम्मेदारी देने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में इस बार 13 आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इसका आदेश जारी किया गया है।

इन अधिकारियों को

मिली नई जिम्मेदारी

पुणे साहू सचिव, माध्यमिक शिक्षा

मंडल, महाराष्ट्र कारोबार, संचालक,

पेशन विभाग, राजेश सिंह

की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में नया रोस्टर लागू



» अब 19 बैंच में होंगी

मामलों की सुनवाई

» पहली डिवीजन बैंच में चौथा

जस्टिस रेमेश सिन्हा

और जस्टिस अरविंद

कुमार वर्मा शामिल

बिलासपुर, 24 जनवरी 2024 (ए.)

केंद्र सरकार द्वारा जनानायक स्वामीय कर्पूरी शक्ति को मरणोपरांत भारत रव दिए जाने के केंद्र सरकार के निर्णय पर पुछाया गया है। विद्युत देव साय के लिए बैठक की तरफ से इसका विवरण दिया गया है।

जिसके अनुसार न्यायाधीश कर्पूरी शक्ति को अवैध घोषित किया गया है। इस बैठक में 10 बैंचिंग बैंच, 3 डिवीजन बैंच और 6 संसेल बैंच में होंगी। मामलों की सुनवाई विवरण दिया गया है।

जिसके अनुसार न्यायाधीश कर्पूरी शक्ति को अवैध घोषित किया गया है। इस बैंच में 10 बैंचिंग बैंच, 3 डिवीजन बैंच और 6 संसेल बैंच में होंगी। मामलों की सुनवाई विवरण दिया गया है।

जिसके अनुसार न्यायाधीश कर्पूरी शक्ति को अवैध घोषित किया गया है। इस बैंच में 10 बैंचिंग बैंच, 3 डिवीजन बैंच और 6 संसेल बैंच में होंगी। मामलों की सुनवाई विवरण दिया गया है।

जिसके अनुसार न्यायाधीश कर्पूरी शक्ति को अवैध घोषित किया गया है। इस बैंच में 10 बैंचिंग बैंच, 3 डिवीजन बैंच और 6 संसेल बैंच में होंगी। मामलों की सुनवाई विवरण दिया गया है।

जिसके अनुसार न्यायाधीश कर्पूरी शक्ति को अवैध घोषित किया गया है। इस बैंच में 10 बैंचिंग बैंच, 3 डिवीजन बैंच और 6 संसेल बैंच में होंगी। मामलों की सुनवाई विवरण दिया गया है।

जिसके अनुसार न्यायाधीश कर्पूरी शक्ति को अवैध घोषित किया गया है। इस बैंच में 10 बैंचिंग बैंच, 3 डिवीजन बैंच और 6 संसेल बैंच में होंगी। मामलों की सुनवाई विवरण दिया गया है।

जिसके अनुसार न्यायाधीश कर्पूरी शक्ति को अवैध घोषित किया गया है। इस बैंच में 10 बैंचिंग बैंच, 3 डिवीजन बैंच और 6 संसेल बैंच में होंगी। मामलों की सुनवाई विवरण दिया गया है।

जिसके अनुसार न्यायाधीश कर्पूरी शक्ति को अवैध घोषित किया गया है। इस बैंच में 10 बैंचिंग बैंच, 3 डिवीजन बैंच और 6 संसेल बैंच में होंगी। मामलों की सुनवाई विवरण दिया गया है।

जिसके अनुसार न्यायाधीश कर्पूरी शक्ति को अवैध घोषित किया गया है। इस बैंच में 10 बैंचिंग बैंच, 3 डिवीजन बैंच और 6 संसेल बैंच में होंगी। मामलों की सुनवाई विवरण दिया गया है।

जिसके अनुसार न्यायाधीश कर्पूरी शक्ति को अवैध घोषित किया गया है। इस बैंच में 10 बैंचिंग बैंच, 3 डिवीजन बैंच और 6 संसेल बैंच में होंगी। मामलों की सुनवाई विवरण दिया गया है।

जिसके अनुसार न्यायाधीश कर्पूरी शक्ति को अवैध घोषित किया गया है। इस बैंच में 10 बैंचिंग बैंच, 3 डिवीजन बैंच और 6 संसेल बैंच में होंगी। मामलों की सुनवाई विवरण दिया गया है।

जिसके अनुसार न्यायाधीश कर्पूरी शक्ति को अवैध घोषित किया गया है। इस बैंच में 10 बैंचिंग बैंच, 3 डिवीजन बैंच और 6 संसेल बैंच में होंगी। मामलों की सुनवाई विवरण दिया गया है।

जिसके अनुसार न्यायाधीश कर्पूरी शक्ति को अवैध घोषित किया गया है। इस बैंच में 10 बैंचिंग बैंच, 3 डिवीजन बैंच और 6 संसेल बैंच में होंगी। मामलों की सुनवाई विवरण दिया गया है।

जिसके अनुसार न्यायाधीश कर्पूरी शक्ति को अवैध घोषित किया गया है। इस बैंच में 10 बैंचिंग बैंच, 3 डिवीजन बैंच और 6 संसेल बैंच में होंगी। मामलों की सुनवाई विवरण दिया गया है।

जिसके अनुसार न्यायाधीश कर्पूरी शक्ति को अवैध घोषित किया गया है। इस बैंच में 10 बैंचिंग बैंच, 3 डिवीजन बैंच और 6 संसेल बैंच में होंगी। मामलों की सुनवाई विवरण दिया गया है।

जिसके अनुसार न्यायाधीश कर्पूरी शक्ति को अवैध घोषित किया गया है। इस बैंच में 10 बैंचिंग बैंच, 3 डिवीजन बैंच और 6 संसेल बैंच में होंगी। मामलों की सुनवाई विवरण दिया गया है।

जिसके अनुसार न्यायाधीश कर्पूरी शक्ति को अवैध घोषित किया गया है। इस बैंच में 10 बैंचिंग बैंच